उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग—3 अधिसूचना 18 जुन, 2024 ई0

संख्या 248/XVIII(3)/2024-03(6)/2016—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मू—राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की घारा 48 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित गाम, जिसे अधिसूचना संख्या—70/1—14—2000—49(2)—94—81, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
क्रधमसिंह नगर	सितारगंज	किलपुरी	नकुलिया

आज्ञा से, रमेशा कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.248/XVIII(3)/2024-03(6)/2016 dated: June 18, 2024 for general information.

NOTIFICATION June 18, 2024

No. 248/XVIII(3)/2024-03(6)/2016--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act No. 03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81, dated 10 March, 2000 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

<u>Schedule</u>

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Udham Singh Nagar	Sitarganj	Kilpuri	Nakuliya

By Order ,
RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary, Revenue.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 06—07—2024, भाग 1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित——] पी०एस0यू० (आर0ई०) 36 राजस्व/352—08—08—2024—50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)